

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/22	<p>वकुलाए पक्षधारण उपस्थित कक्ष सुनी गई। आधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक ही स्थगन आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में अब स्थगन आदेश उभाव में नहीं रहा है ऐसी स्थिति में अपील आशिकु रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण आधिनस्थ न्यायालय के प्रति-प्रेषित की जाकर निर्दिष्ट किया जाता है कि दोनों पक्षों का जवाब व सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर है।</p>	


